न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी. आर. न0-800/2019

ओबरा थाना कांड संख्या-266/2019

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- श्री विनय कुमार (अ0 पदाधिकारी) ।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- श्री मुकेश कुमार ।

05.02.2020 काराधीन अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ गुड्डु कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक सर्वथा निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है और न ही लंबित है । प्राथमिकी में जैसा कहा गया है, वैसी कोई बात नही है । आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप नही है । आवेदक को इस वाद में दिनांक :-08.11.2019 को रिमाण्ड किया गया है । आवेदक के विरूद्ध लगाये गये धारा लागू नही होता है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 25(1-b)a/26/35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि उक्त अभियुक्त दाउदनगर थाना कांड संख्या-302/2019 के अप्राथमिकी अभियुक्त है, जिसके घर पुलिस पहुँचा तथा उसके घर की तलासी लिया गया तो उक्त अभियुक्त के घर से पैसे की बरामदगी हुई जो दाउदनगर थाना कांड संख्या-302/2019 से संबंधित है । पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि उसक पास एक हथियार जा थर्नेट है वह मंगल राम उर्फ हनुमान को रखने के लिए दिया है । उक्त कथानक के आलोक में अभियुक्त मंगल राम उर्फ हनुमान के घर पुलिस द्वारा तलाशी के कम में एक हथियार (थर्नेट) एवं एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ तथा आरोपित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।